कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के अनुरूप व्याख्याता अर्थशास्त्र (स्कुल शिक्षा) (पुरूष) एवं समकक्ष पद (गुप एफ) पे–बेण्ड पीबी–2–(9300–34800) ग्रेड पे 4800 में वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पूर्व में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही के पुनरावलोकन (रिव्यु) बैठक में की गई अनुशंषा के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः– शिविरा–माध्य/संस्था/सी–ओए/6004/चयन/15–16/15 दिनांक 12.01.16 एवं 15.01.2016 रिव्यू एण्ड रिविजन की पृथक सूची के अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता हैं।

क्र.स.	वरिष्ठता. क्रमांक	नामलोकसेवक / वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	चयन वर्ष	पदोन्नति पर पदस्थान स्थान
1	2489/ 84-85	मनमोहन चंगवाल (पावे.व्या0अर्थषास्त्र) राउमावि.बेदला (उदयपुर)	29.11.61	2012-13	यथावत

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1) कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावाधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होगे। अतः संबंधित नियन्त्र अधिकारी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से पूर्व इस आशय की धोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई हैं। नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता मिलान कर पुष्टि करेगे। अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल so.csection@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे।

संबंधित कार्मिक नियत दिनांक तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेगें। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जायेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगें। कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी (संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ईमेल सूचित करेगे।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा/संस्था/सी–5/अर्थशास्त्र/रि.रि.डीपीसी पदस्थापन/15–16/ दिनाक 02.01.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत्

1. शासन सचिव–शिक्षा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप–2)/कार्मिक (ख–15) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
4. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) समस्त मण्डल
6. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक/माध्यमिक)
7. संबधित संस्था प्रधान
8. संबधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दपर्ण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेगें।
9. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनिय प्रतिवेदन/विभागीय जाँच/प्रभारी बी–3
10. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर